न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
17/2026 प्रा.पत्र/2026	02.04.2026	30.04.2026
जीसीएमएस नं0 110/2026		

1. अवधेश कुमार विजय पुत्र स्व. रामदेव विजय निवासी वार्ड नं. 19, ताज कॉलोनी, रोडवेज डिपो के सामने टोंक
2—भंवरी देवी पत्नी स्व. रामदेव विजय निवासी वार्ड नं. 19, ताज कॉलोनी, रोडवेज डिपो के सामने, टोंक राजस्थान
3—प्रेमचन्द जैन पुत्र बिरधीचन्द जैन प्रोपराईटर मैसर्स बिरधीचन्द प्रेमचन्द जैन बरवास वाले, गली शेर अली खां के पास, देवली रोड, टोंक राजस्थान।

............प्रार्थीगण

बनाम

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राजस्थान।

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन बाबत निर्णय दिनांक 27.07.2022 प्रकरण संख्या 19/2013 उनवानी मदनलाल गुर्जर बनाम अवधेश कुमार व अन्य, जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii)

उपस्थित—
1—अभिभाषक प्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा एड.।
2—राजकीय पेरोकार (खाद्य सुरक्षा अधि.) उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 30/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण के खिलाफ एक प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एण्ड दण्डनीय धारा 51 व 52 के अन्तर्गत पेश किया था जिसमें प्रार्थीगण पर **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थीगण पर जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.07.2022 को उक्त प्रकरण का निर्णय करते हुए प्रार्थी सं. 1 व 2 पर 60,000/— (अक्षरे साठ हजार रूपये) व प्रार्थी संख्या 3 पर 90,000/— (नब्बे हजार रूपये) जुर्माना राशि आरोपित की गई थी। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर निर्णय के पुनरावलोकन हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की जाकर न्यायालय हाजा की संबंधित मिसल संलग्न की गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण व राजकीय पेरोकार (खाद्य सुरक्षा अधि.) की बहस को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थी के खिलाफ एक प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एण्ड दण्डनीय धारा 51 व 52 के अन्तर्गत पेश किया था जिसमें प्रार्थीगण पर **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय करने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसे किसी भी उत्पाद का विक्रय नहीं किया गया है और ना ही प्रार्थीगण का ऐसे किसी उत्पाद से कोई सम्बन्ध है।

जिस **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** को विक्रय करने का आरोप प्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लगाया गया था, वह **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** प्रार्थीगण ने वारन्टी बिल के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी नई मण्डी रोड दौसा से वारन्टी बिल सं. 2678 दिनांक 22.02.2013 के आधार पर कय किया था तथा उसी अवस्था में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। प्रार्थीगण द्वारा अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व लेबलिंग में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व लेबलिंग की समस्त जिम्मेदारी निर्माता फर्म की होती है न कि प्रार्थीगण की परन्तु न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.07.2022 में उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रार्थी सं. 1 व 2 पर 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) व प्रार्थी संख्या 3 पर 90,000/– (नब्बे हजार रूपये) जुर्माना राशि आरोपित कर दी गई है। प्रार्थीगण उक्त आदेश से व्यथित है। इस कारण उक्त निर्णय पर पुनः विचार करते हुए प्रार्थीगण ने उक्त शास्ती राशि को माफ किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है। उक्त निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जिस पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम परिचित द्वारा दिनांक 15.03.2026 को बताए जाने पर हुई जिस पर तुरन्त नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र बाबत पुनर्विलोकन न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण में प्राथीगर्ण को सुनवाई का उचित अवसर देकर निर्णय का पुनरावलोकन कर प्रार्थीगण की उक्त शास्ती राशि को माफ किये जाने का श्रम फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है जिसमें क्रमशः 5,00,000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरण का निर्णय दिनांक 27.07.2022 सही एवं विधिसम्म्त है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन निरस्त फरमाया जावें।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व प्रकरण से संबंधित न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (गगन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माता फर्म की होती है न कि प्रार्थीगण की। प्रार्थीगण ने वारन्टी बिल के आधार पर निर्माता फर्म से वारन्टी के आधार पर क्रय किया था तथा उसी अवस्था में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का दोष सिद्ध नहीं होता है। वारन्टी बिल के आधार पर प्रार्थीगण को लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रार्थीगण को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था तथा प्रार्थीगण को बिना सुने ही निर्णय दिनांक 27.07.2022 पारित कर दिया गया था। प्रार्थीगण ने आरोपित शास्ति जमा कराने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में हम न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित समझते है तथा नरमायी का रूख अपनाते हुए प्रार्थीगण पर आरोपित जुर्माना राशि माफ की जाती है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज